बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संचिका सं0–09/मेला आवंटन (औरंगाबाद) III–08/2026–..................(9)/रा0, पटना–15, दिनांक–.......................

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषयः– औरंगाबाद जिलान्तर्गत देव चैती छठ मेला, 2026 के आयोजन एवं व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में उपबंधित राशि में से मो0–30,00,000/– (तीस लाख) रूपये मात्र की स्वीकृति के संबंध में।

आदेशः– स्वीकृत।

समाहर्त्ता, औरंगाबाद का पत्रांक–1386/रा0, दिनांक–02.03.2026 द्वारा देव चैती छठ मेला, 2026 के आयोजन एवं व्यवस्था हेतु मो0–30,00,000/– (तीस लाख) रूपये मात्र की स्वीकृति प्रदान कीं जाती है।

2. राशि की निकासी शीर्ष–2029–भू–राजस्व–104–सरकारी सम्पदाओं का प्रबंध–0002–हाट, बाजार, कचहरी इत्यादि का सुरक्षण–2701, लघु कार्य माँग सं0–40 विपत्र कोड–40–2029001040002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष–2025–26 में उपबंधित राशि से की जायेगी।

3. औरंगाबाद जिलान्तर्गत देव चैती छठ मेला, 2026 के लिए स्वीकृत/आवंटित राशि का व्यय उक्त मेले के आयोजन के मद में हीं किया जायेगा तथा स्वीकृत/आवंटित राशि के व्यय का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित समाहर्त्ता, अपर समाहर्त्ता एवं संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

4. राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561(वी0)(2) दिनांक–17.04.98 एवं विभागीय पत्रांक–2894(9), दिनांक–07.08.2025 के आलोक में किया जायेगा।

5. इस राशि की निकासी CFMS 2.0 के माध्यम से आवंटन के पश्चात की जायेगी।

6. समाहर्त्ता, औरंगाबाद को निदेश दिया जाता है कि स्वीकृत राशि का व्यय संबंधित अपर समाहर्त्ता/संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/संबंधित अंचलाधिकारी के द्वारा कराया जाय।

7. उक्त राशि का विचलन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।

8. उक्त राशि का व्यय सिर्फ संबंधित मेले के आयोजन हेतु विभिन्न मदों में किया जायेगा।

9. यह राशि इस शर्त्त पर स्वीकृत एवं आवंटित की जाती है कि अतिरिक्त राशि का दायित्व सृजित नहीं किया जायेगा तथा आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र एक माह के अन्दर विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

10. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(देवेश कुमार),
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांकः–09/मेला आवंटन (औरंगाबाद) III–08/2026–1054(9)/रा0, पटना–15, दिनांकः–19/03/2026

प्रतिलिपि :–आयुक्त, मगध प्रमण्डल, गया जी/समाहर्त्ता, औरंगाबाद/कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद एवं उपकोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.3.26
(देवेश कुमार),
सरकार के उप सचिव।